

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : ओम प्रकाश बिश्नोई, आर0ए0एस0

खाद्य सुरक्षा परिवाद सं. 24/2021

प्रार्थी-

राजस्थान सरकार जरिये खाद्य  
सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थी-

स्वरूप पुत्र हंसराज जाति माली  
निवासी बलदेव नगर जिला बाड़मेर  
(मैसर्स जय अम्बे स्वीट होम होटल,  
बीएनसी चौराहा बाड़मेर का मालिक)

परिवाद अन्तर्गत धारा 26(2)(ii) सहपठित धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं  
मानक अधिनियम, 2006

उपस्थिति :-

1. अभियोजन अधिकारी प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री नृसिंह सोलंकी, अधिवक्ता अप्रार्थी की ओर से उपस्थित।

आदेश

दिनांक : 22.12.2021

1. प्रार्थी की ओर से यह परिवाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा धारा 26 की उप धारा (2)(ii) के उल्लंघन के फलस्वरूप धारा 51 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अप्रार्थी के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत परिवाद के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि अप्रार्थी के प्रतिष्ठान **मैसर्स जय अम्बे स्वीट होम होटल, बीएनसी चौराहा बाड़मेर** पर निरीक्षण दिनांक **04.01.2021** को विक्रय हेतु रखा गया खाद्य पदार्थ **मिठाई (गुलाब जामुन)** जो कि एक स्टील की ट्रे में करीब 10 कि०ग्रा० रखा हुआ था, को मिलावट का होने के शक पर नियमानुसार **02 कि०ग्रा० मिठाई (गुलाब जामुन)** वास्ते नमूना क्रय किया जाकर नमूना संख्या **पी-1299** अंकित कर इसकी जांच खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत कराये जाने हेतु प्रपत्र-5(ए) भरकर अप्रार्थी एवं गवाह व विक्रेता के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त खाद्य पदार्थ **मिठाई (गुलाब जामुन)** का नमूना वास्ते जांच खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर द्वारा रिपोर्ट दिनांक **12.01.2021** में उक्त खाद्य पदार्थ **मिठाई (गुलाब जामुन)** का नमूना को **अवमानक (Sub-standard)** बताया गया जिसकी अप्रार्थी को जरिये नोटिस सूचना दी गई, जिस पर अप्रार्थी द्वारा कोई जवाब ऐतराज प्रस्तुत नहीं किया गया। इस पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा यह परिवाद प्रस्तुत कर अप्रार्थी को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माना से दण्डित करने का निवेदन किया है।
2. अप्रार्थी को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने लिखित जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य सेम्पल लेने का किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं है और खाद्य निरीक्षक द्वारा पक्षीय कार्यवाही की गई थी। प्रकरण में विप्रार्थी के प्रतिष्ठान से किसी भी प्रकार के गुलाब जामुन की सेम्पलिंग नहीं की गई थी और न ही स्वतंत्र गवाह की उपस्थिति में कोई कार्यवाही की गई है। विप्रार्थी बाड़मेर शहर का एक प्रतिष्ठित व्यापारी है और केवल मात्र उसकी छवि को



धूमिल करने की नियत से खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा उक्त कार्यवाही की गई है। लिहाजा उक्त परिवाद निरस्त करने का आदेश फरमावें।

3. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत परिवाद का अवलोकन किया एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी द्वारा कारित अपराध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जुर्माना से दण्डनीय है तथा खाद्य पदार्थों से सम्बन्धित सुरक्षा मानकों के प्रति उदासीनता मानव स्वास्थ्य के प्रांते गम्भीर अपराध की श्रेणी में माना गया है। अप्रार्थी के प्रतिष्ठान से लिये गये खाद्य पदार्थ के नमूना की खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर से प्राप्त नमूना जांच रिपोर्ट दिनांक 12.01.2021 में उक्त नमूना अवमानक स्तर का पाया गया है। जांच रिपोर्ट के अनुसार B.R. Reading of Extracted Fat at 40° C जिसका मानक स्तर 40.0 - 43.0 के मुकाबले 45.77 एवं Reichert value of extracted fat जिसका मानक स्तर न्यूनतम 26.0 के मुकाबले 21.60 पाया गया है। इस पर पदाभिहित अधिकारी द्वारा अप्रार्थी को धारा 46 की उप-धारा 4 के अधीन नोटिस जारी किया गया किन्तु अप्रार्थी द्वारा कोई जवाब एतराज प्रस्तुत नहीं किया गया। इस पर प्रार्थी की ओर से यह परिवाद प्रस्तुत होने पर जरिये नोटिस जवाब हेतु अप्रार्थी को तलब किया गया। अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपने जवाब में प्रतिरक्षण में निवेदन किया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी को खाद्य सेम्पल लेने का किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं है और खाद्य निरीक्षक द्वारा एक पक्षीय कार्यवाही की गई थी। प्रकरण में विपार्थी के प्रतिष्ठान से किसी भी प्रकार के गुलाब जामुन की सेम्पलिंग नहीं की गई थी और न ही स्वतंत्र गवाह की उपस्थिति में कोई कार्यवाही की गई है। विपार्थी बाड़मेर शहर का एक प्रतिष्ठित व्यापारी है और केवल मात्र उसकी छवि को धूमिल करने की नियत से खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा उक्त कार्यवाही की गई है। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा अपने प्रतिरक्षण में किसी प्रकार का ठोस एवं तथ्यात्मक जवाब नहीं देना अपने प्रतिष्ठान से लिये गये खाद्य पदार्थ के प्रति अपनी जिम्मेदारी से विमुख होने का प्रयास किया है क्योंकि जो खाद्य पदार्थ अपने प्रतिष्ठान में रखकर ग्राहकों को विक्रय किया जा रहा है तो उसकी गुणवत्ता के लिए उसका उत्तरदायित्व खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अन्तर्गत अप्रार्थी का है। लिहाजा अप्रार्थी के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्म प्रमाणित हैं।
4. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन उपरांत अप्रार्थी के विरुद्ध अपराध धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 प्रमाणित होने से अप्रार्थी पर **रुपये 10,000/-** का जुर्माना अधिरोपित किया जाता है। अप्रार्थी उक्त जुर्माना राशि का बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर के नाम पेश करें, जो पेश होने पर सम्बन्धित अधिकारी को राजकोष में जमा करवाने हेतु भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।
5. आदेश आज दिनांक 22.12.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(ओम प्रकाश बिश्नोई)  
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं  
अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर  
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं  
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर